न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 17 / 2019

अपीलार्थी–	*बनाम*	उत्तरदाता–
बलवीरसिंह उर्फ बलवन्तसिंह पुत्र		तहसीलदार रामसर
उगमसिंह जाति राजपूत निवासी		
आंटा तहसील रामसर जिला बाड़मेर		

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.06.19 जो प्रकरण सं. 01 / 2019 मे तहसीलदार रामसर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. सरकारी पैरोकार, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 17 / 02 / 2020

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार रामसर द्वारा प्रकरण सं. 01 / 2019 सरकार बनाम बलवीरसिंह मे पारित निर्णय दिनांक 24.06.2019 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का सियाणी द्वारा तहसीलदार रामसर के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आंटा के खसरा नम्बर 218 / 88 रकबा 06–00 बीघा किस्म गैर मुमकीन दरड़ा सरकारी भूमि मे से 02–00 बीघा पर गैर सायल बलवीरसिंह वल्द उगमसिंह कौम राजपूत साकिन देह द्वारा पक्का मकान मय बाड़ा कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार रामसर द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल ने दौरान सुनवाई उपस्थित होकर हल्का पटवारी की रिपोर्ट से संतुष्ट होकर भू–अभिलेख निरीक्षक से जांच चाही गई । तहसीलदार रामसर द्वारा हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक सियाणी से पुनः जांच रिपोर्ट ली गई जिसमें अपीलार्थी का अतिक्रमण होना पाया गया। इस पर तहसीलदार रामसर द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 24.06.2019 के द्वारा 5/– रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 26.08.2019 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जिस भूमि पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किया जाना मानते हुए बेदखली का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं इस भूमि पर अपीलांट पीढ़ियों से काबिज हैं। उक्त विवादित भूमि पर अपीलांट व अपीलांट के पिता का वक्त सैटलमेंट से कब्जा–काश्त बदस्तूर हैं जिसमें रहवासीय ढाणी, टांका, पशु बाड़े इत्यादि बने हुए हैं, लेकिन भूलवश उक्त भूमि गैर मुमकीन दरड़ा दर्ज हो गई हैं। उक्त आदेश पारित करने मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है । अपीलांट गरीब व्यक्ति है जिसका स्थाई निवासी अपीलाधीन आराजी पर पीढ़ियों से निर्बाध चला आ रहा है जिसमें बिजली का कनेक्शन भी काफी अर्सा पूर्व लिया गया है। इस आवासीय भूमि के अलावा अपीलांट के रहवास हेतु कहीं आबादी भूमि का भूखण्ड नहीं हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर किये बिना राजनैतिक दबाव मे आकर अपीलांट को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाने के आशय से उक्त

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अपीलाधीन आदेश बेदखली का पारित किया है जो अपास्त व निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किये जाने का आदेश फरमावें।

5. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब मे पैरोकार सरकार ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरूद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम आंटा के खसरा नम्बर 218/88 रकबा 06–00 बीघा किस्म गैर मुमकीन दरड़ा भूमि मे से 02–00 बीघा पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किया है, इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। दौरान सुनवाई स्वंय अपीलांट द्वारा उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया तथा अपनी उपस्थिति के हस्ताक्षर अंकित किये है। इस अपील में भी अपीलांट द्वारा उक्त सरकारी भूमि पर स्वंय कब्जा कर अतिक्रमण करना स्वीकार किया है तथा इस पर अपीलांट पर जुर्माना अधिरोपित करते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाए।

6. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा अपने कब्जा व अधिपत्य वक्त सैटलमेंट से होना प्रकट किया है, किन्तु उक्त भूमि पर अपने स्वामित्व हक के समर्थन कोई दस्तावेजी साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया गया। इसके अलावा जहां तक अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उसे नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का प्रश्न है तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई दिनांक 17.06.2019 को वह स्वंय उपस्थित हुआ है तथा आदेशिका पर उसकी उपस्थिति के हस्ताक्षर अंकित है। अपीलांट के निवेदन पर विवादित भूमि पर कब्जे एवं अतिक्रमण की जांच हल्का भू–अभिलेख निरीक्षण सियाणी से करवाई गई, जिसमें भी अपीलांट का अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण होना उल्लेख किया हैं। इस अपील में भी अपीलांट ने सरकारी

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

भूमि पर अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया है तो फिर अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता ही प्रतीत नही होती है, क्योंकि विधि यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि स्वीकारोक्ति स्वंय सर्वोत्तम साक्ष्य है। अपीलांट द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न ही इस न्यायालय के समक्ष विवादित सरकारी भूमि पर अपने स्वामित्व अथवा आधिपत्य हक अधिकार के बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामसर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2019 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर तहसीलदार रामसर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम मे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें।

8. निर्णय आज दिनांक 17.02.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राकेश कुमार शर्मा)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)